पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 56/2021

1. कानाराम पुत्र हरिराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. हरिराम पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. शीशराम पुत्र हरिराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. विमला पुत्री हरिराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बेनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 132/134 के खसरा सं0 16 की 15.543है0 खसरा सं0 224 की 5.147है0 खसरा सं0 473 की 0.430है0 खसरा सं0 482 की 5.704है0 खसरा सं0 518 की 10.459है0 कुल 36.283है0 बारानी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 हरिराम के नाम से जो 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 हरिराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 2 संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 हरिराम 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं 1 हरिराम के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 कानाराम व प्रतिवादी सं 2 शिशराम को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 हरिराम 1/10 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.03.[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 56/2021

1. कानाराम पुत्र हरिराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. हरिराम पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. शीशराम पुत्र हरिराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. विमला पुत्री हरिराम जाति नाई निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी**: वादीगण**
वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 26.3.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 132/134 के खसरा सं0 16 की 15.543है0 खसरा सं0 224 की 5.147है0 खसरा सं0 473 की 0.430है0 खसरा सं0 482 की 5.704है0 खसरा सं0 518 की 10.459है0 कुल 36.283है0 बारानी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 हरिराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा किशनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। किशनराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हरिराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सं[illegible]कार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजी[illegible] को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 कानाराम पुत्र हरिराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ संवत 2072—75 प्रदर्श 1 नामान्तरण दिनांक 20.07.2009 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ संवत 2072–75 प्रदर्श 1 नामान्तरण दिनांक 20.07.2009 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार हरिराम के दो पुत्र कानाराम शिशराम व एक पुत्री विमला तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूकिं प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं 1 हरिराम के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। जिस पर वाद भूमि प्रतिवादी हरिराम के नाम दर्ज है उसे वादी कानाराम और प्रतिवादी शिशराम संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी हरिराम 1/10 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 132/134 के खसरा सं0 16 की 15.543है0 खसरा सं0 224 की 5.147है0 खसरा सं0 473 की 0.430है0 खसरा सं0 482 की 5.704है0 खसरा सं0 518 की 10.459है0 कुल 36.283है0 बारानी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 हरिराम के नाम से जो 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 हरिराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 2 संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 हरिराम 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा अपने पिता प्रतिवादी सं 1 हरिराम के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 कानाराम व प्रतिवादी सं 2 शिशराम को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 हरिराम 1/10 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.3.21 को द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट-ट्रेक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner